0

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता
15, स्ट्रैंड रोड
कोलकाता - 700001

सं0 : फिन/पीएसएलआई/23/611

वित्त विभाग
दिनांक: 28.07. 2023.

सूचना

विषय: डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी)।

संदर्भ: सूचना पंजीकरण क्रमांक- फिन/पीएसएलआई/23/245, दिनांक 29.05.2023

उपरोक्त दिनांक 29.05.2023 का संदर्भित सूचना को कृपया रद्द माना जाए ।

एसएमपी, कोलकाता द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केडीएस (एलआईसी और गैर-एलआईसी) के सभी पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को संवितरण प्राधिकारी के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता का चयन करते हुए जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र पंजीकृत करना होगा। सभी की जानकारी के लिए मोबाइल फोन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका संलग्न (अनुलग्नक-I) है।

1. केडीएस के गैर-एलआईसी से प्राप्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए:

पेंशनभोगी:

केडीएस के सभी पेंशनभोगियों (गैर-एलआईसी से प्राप्य) से अनुरोध है कि वे संवितरण प्राधिकरण के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता का चयन करते हुए जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र पंजीकृत करें। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) की हार्ड कॉपी नवंबर के महीने में पंजीकृत की जानी चाहिए और प्रत्येक वर्ष नवंबर के अंत तक अपने संबंधित बैंक/शाखा में जमा की जानी चाहिए।

पारिवारिक पेंशनभोगी:

केडीएस के सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों (गैर-एलआईसी से प्राप्य) से अनुरोध है कि वे संवितरण प्राधिकरण के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता का चयन करते हुए जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र पंजीकृत करें। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) की हार्ड कॉपी नवंबर के महीने में पंजीकृत की जानी चाहिए और प्रत्येक वर्ष नवंबर के अंत तक अपने संबंधित बैंक/शाखा में जमा की जानी चाहिए।

ऊपर बताए गए डीएलसी के अलावा, पारिवारिक पेंशनभोगियों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे जीवन प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी (उचित प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित) इस आशय के साथ कि पारिवारिक पेंशनभोगी पुनर्विवाह/विवाहित नहीं हैं और नियोजित नहीं हैं, मौजूदा प्रथा के अनुसार नवंबर के महीने में बैंक में जमा करें । जीवन/वैवाहिक स्थिति/गैर-रोज़गार प्रमाणपत्र का एक निर्धारित प्रारूप तत्काल संदर्भ के लिए **संलग्न है (अनुलग्नक- एफपी-4)**।

पारिवारिक पेंशन की बहाली के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, यदि यह डीएलसी और जीवन प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी जमा न करने के कारण रुकी हुई है।

2. **केडीएस के एलआईसी से प्राप्य पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए**

<u>पेंशनभोगी:</u>

केडीएस के सभी पेंशनभोगियों (गैर-एलआईसी से प्राप्य) से अनुरोध है कि वे संवितरण प्राधिकरण के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता का चयन करते हुए जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र पंजीकृत करें।

एलआईसी से जुड़े केडीएस के पेंशनभोगी को अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र एलआईसी, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 16, सी.आर. एवेन्यू, कोलकाता-700072 को डाक द्वारा या मेल: bo_G402_gsca@licindia.com या bo_G402@licindia.com के जरिए जमा करना होगा या वार्षिकी संख्या का उल्लेख करते हुए अपने निर्धारित महीने में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। वार्षिकी संख्या एसएमपीके वेबसाइट www.smportkolkata.shipping.gov.in के पेंशनभोगी पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे पेंशन रोल नंबर के जरिए ढूंढा जा सकता है।

डीएलसी जमा करने के क्रम नीचे दिए गए हैं:

1. जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपना डीएलसी पंजीकृत करें ।

2. डीएलसी का प्रिंट आउट ले लें।

3. डीएलसी की हार्ड कॉपी के पृष्ठ पर वार्षिकी संख्या लिखें।

4. डीएलसी की हार्ड कॉपी को स्कैन करें।

5. एलआईसी को मेल या डाक से या व्यक्तिगत रूप से डीएलसी भेजें।

<u>पारिवारिक पेंशनभोगी:</u>

केडीएस (गैर-एलआईसी प्राप्य) के सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे संवितरण प्राधिकरण के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता का चयन करते हुए जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र पंजीकृत करें।

एलआईसी से जुड़े केडीएस के पारिवारिक पेंशनभोगी को अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र एलआईसी, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 16, सी.आर. एवेन्यू, कोलकाता-700072 को डाक द्वारा या मेल: bo_G402_gsca@licindia.com या bo_G402@licindia.com के जरिए जमा करना होगा या वार्षिकी संख्या का उल्लेख करते हुए अपने निर्धारित महीने में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। वार्षिकी संख्या एसएमपीके वेबसाइट www.smportkolkata.shipping.gov.in के पेंशनभोगी पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे पेंशन रोल नंबर के जरिए ढूंढा जा सकता है।

ऊपर बताए गए डीएलसी के अलावा, एलआईसी प्राप्य केडीएस के पारिवारिक पेंशनभोगियों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे जीवन प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी (उचित प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित) इस आशय के साथ कि पारिवारिक पेंशनभोगी पुनर्विवाह/विवाहित नहीं हैं और नियोजित नहीं हैं, एलआईसी, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 16, सी.आर. एवेन्यू, कोलकाता-700072 को डाक द्वारा या मेल: bo_G402_gsca@licindia.com या bo_G402@licindia.com के जरिए वार्षिकी संख्या का उल्लेख करते हुए जमा करना होगा या अपने निर्धारित महीने में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। जीवन/वैवाहिक स्थिति/गैर-रोज़गार प्रमाणपत्र का एक निर्धारित प्रारूप तत्काल संदर्भ के लिए **संलग्न है (अनुलग्नक- एफपी-4)**।

डीएलसी जमा करने के क्रम नीचे दिए गए हैं:

1. जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपना डीएलसी पंजीकृत करें ।

2. डीएलसी का प्रिंट आउट ले लें ।

3. डीएलसी की हार्ड कॉपी के पृष्ठ पर वार्षिकी संख्या लिखें।

4. डीएलसी की हार्ड कॉपी को स्कैन करें।

5. एलआईसी को मेल या डाक से या व्यक्तिगत रूप से डीएलसी भेजें।

पारिवारिक पेंशन की बहाली के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, यदि यह डीएलसी और जीवन प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी जमा न करने के कारण रुकी हुई है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पी. लाला)
वित्त सलाहकार व मुख्य लेखाधिकारी

डिविजनल मैनेजर (पी एंड जीएस), एलआईसी, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 16, सी.आर. एवेन्यू, कोलकाता-700072 को कृपया सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि । उनसे अनुरोध है कि संलग्न निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-एफपी-4) के अनुसार पेंशनभोगियों की डीएलसी और पारिवारिक पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण-पत्र की डीएलसी और हार्ड कॉपी स्वीकार करें।
अनुलग्नक: यथोक्त ।

शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, कोलकाता/पंजाब नेशनल बैंक, कोलकाता शाखा/यूको बैंक, कोलकाता मुख्य खुदरा शाखा/इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा को सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि। उनसे अनुरोध है कि वे केडीएस बाध्य (गैर-एलआईसी) पेंशनभोगियों की डीएलसी और केडीएस बाध्य (गैर-एलआईसी) पारिवारिक पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी संलग्न निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-एफपी -4) के अनुसार स्वीकार करें, जैसा कि निर्णय लिया गया है।
अनुलग्नक: यथोक्त ।

सीनियर डिप्टी डाइरेक्टर, ईडीपी विंग, जीएडी को एसएमपी कोलकाता वेबसाइट पर नोटिस प्रसारित करने के लिए प्रतिलिपि।

सीनियर डिप्टी सीएओ-। /डिप्टी सीएओ –॥ को कृपया सूचनार्थ प्रतिलिपि।

प्रशासक, केओपीटी कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधि को कृपया जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पेंशन अनुभाग को कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि ।